

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2024/132

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
विनोद बनाम श्रवण कुमार आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या-225 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
10.07.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 12.08.2024 को पेश हो।</p> <p>om ^</p>	
19.7.2024	<p>वकील वादी ने आवना-पत्र मिशाल पेकी पेका अपने घर पूजावकी को पेकी में लिफा वकील वादी ने लिफेकन लिफा छि वह वाद-पत्र आगे नही चलाना चाहे है। मौजूदा सिधार्त में वादीज आवना-चाहे है। काल-वाद-पत्र मौजूदा सिधार्त में वादीज लिफा जाता है पूजावकी नखर से काम की जाकर बाद तारीख तकील जाता फरिदित फरालर हो।</p> <p>om ^</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	<p>विनोद प. 132 उपखण्ड अधिकारी</p>

